संख्या-1/ 2015/ 362/ 77-1-2015-05(बजट)/ 2014

प्रेषक,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01 मई, 2015

विषय:- इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, यू0पी, (इटप) लखनऊ के कार्मिकों के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/ स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015, दिनांक 30.03.2015 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, यू0पी, (इटप) लखनऊ के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि क्रमश: रू0 1,00,80,000.00 (रू0 एक करोड अस्सी हजार मात्र) एवं रू0 7,04,000.00 (रू0 सात लाख चार हजार मात्र) में से व्यय हेतु 50 प्रतिशत अर्थात रू0 3,52,000;00 (रू0 तीन लाख बावन हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 1,04,32,000;00 (रू0 एक करोड चार लाख बत्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा :-

क्रमांक	मानक मद	प्रयोजन	बजट प्रावधान (रू0)	आहरण हेतु धनराशि (रू0)
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	7,04,000.00	3,52,000.00
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	कार्मिकों के वेतनादि	1,00,80,000.00	1,00,80,000.00
	योग:- रूपया		**1,07,84,000.00**	**1,04,32,000.00**

2- इस संस्थान के कर्मियों के वेतन तथा रख-रखाव हेतु नियमानुसार तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

.........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.07.2012 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 7 लेखाशीर्षक- ''2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-आयोजनेत्तर-60-अन्य-800-अन्य व्यय-18-इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, यू0पी, (इटप)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) तथा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनुसचिव।

संख्या- 362(1)/ 77-1-2015, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनुभाग-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायें।

6- महाप्रबन्धक, इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, यू0पी, (इटप) लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनुभाग-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगें।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

9- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।